



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258027
CG-DL-E-18102024-258027

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4191]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार 17, 2024/आश्विन 25, 1946

No. 4191]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2024/ASVINA 25, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2024

सं. 34 / 2024-25

विषय: मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में।

का.आ. 4555(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 16.10.2024 से कतिपय मांस और मांस उत्पादों हेतु निर्यात नीतिगत भातों में निम्नानुसार संशोधन करती है:

1. आइटीसी (एचएस कोड) 2022, अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अध्याय 2 के अंतर्गत नई नीतिगत भात 8 और अध्याय 16 के अंतर्गत नीतिगत भात 2 निम्नानुसार शामिल किए गए हैं:

i. विनिर्दिष्ट मांस और मांस उत्पादों को नीचे सूचीबद्ध देशों में हलाल प्रमाणित के रूप में निर्यात करने की अनुमति केवल तब ही दी जाएगी, जब ऐसे उत्पाद भारतीय गुणवत्ता परिशद् (क्यूसीआइ) के "भारत अनुपालन मूल्यांकन

स्कीम (आइ-सीएस)-हलाल" के तहत प्रमाणित सुविधा में उत्पादित अथवा प्रसंस्कृत और/अथवा पैक किए जाते हों।

- ii. पोतलदान (पोतलदानों) के बाद, निर्यातक नीचे सूचीबद्ध आयातक देश में खरीदार को राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा प्रत्यायित प्रमाणन निकाय द्वारा आइ-सीएस के तहत जारी वैध हलाल प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) प्रस्तुत करेगा।
- iii. आइ-सीएस के साथ अपेक्षित अनुपालन के अतिरिक्त उन देशों में विनिर्दिष्ट मांस और मांस उत्पादों का निर्यात, जहां हलाल उत्पादों के आयात के लिए विनियमन अधिसूचित हैं, उत्पादक/आपूर्तिकर्ता/निर्यातक को आयातक देश की अपेक्षाओं और विनियमनों को भी यथा प्रयोज्य पूरा करना होगा और आयातक देश में खरीदार को आयातक देश की राष्ट्रीय हलाल प्रणाली के तहत अनुमोदित हलाल प्रमाणन निकायों द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र देने होंगे।
- iv. गैर-हलाल प्रमाणित मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए नीतिगत भातें और उनकी प्रक्रियाएं अपरिवर्तित रहेंगी।
- v. उन देशों की सूची, जहां विनिर्दिष्ट हलाल मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए उपर्युक्त भातें अनिवार्य हैं, निम्नवत है:-
 - i. बहरीन
 - ii. बांग्लादेश
 - iii. इंडोनेशिया
 - iv. ईरान
 - v. इराक
 - vi. जॉर्डन
 - vii. कुवैत
 - viii. मलेशिया
 - ix. ओमान
 - x. फिलीपींस
 - xi. कतर
 - xii. सऊदी अरब
 - xiii. सिंगापुर
 - xiv. तुर्की
 - xv. संयुक्त अरब अमीरात

2. उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में, अतिरिक्त निर्यात नीतिगत भातें केवल निम्नलिखित आइटीसी (एसएस) कोडों के संबंध में शामिल की गई हैं-

एच एस कोड	मद विवरण	अतिरिक्त निर्यात नीतिगत शर्त
0201- गोजातीय पशुओं का मांस, ताजा अथवा शीतित		
02013000	-हड्डी रहित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत भातें 8 के भी अधीन होगा
0202- गोजातीय पशुओं का मांस, जमा हुआ		
02023000	-हड्डी रहित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत भातें 8 के भी अधीन होगा
0204- भेड़ों और बकरियों का मांस, ताजा, शीतित या जमा हुआ		

02041000	—मेमने के भाव और अर्ध—भाव, ताजा अथवा " शीतित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत भात 8 के भी अधीन होगा
02042100	—" शव और अर्ध—भाव	
02042200	—हड्डी सहित अन्य टुकड़े	
02042300	—हड्डी रहित	
02043000	—मेमने के भाव और अर्ध—भाव, जमे हुए	
02044100	—भेड़ का अन्य मांस, जमा हुआ: भाव और अर्ध—भाव	
02044200	—भेड़ का अन्य मांस, जमा हुआ: हड्डी सहित अन्य टुकड़े	
02044300	—भेड़ का अन्य मांस, जमा हुआ: हड्डी रहित	
02045000	बकरियों का मांस	
0206. गोजातीय पशुओं, भेड़ों, बकरियों का ताजा, शीतित अथवा जमा हुआ खाद्य मांस		
02061000	—गोजातीय पशुओं का, ताजा अथवा " शीतित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत भात 8 के भी अधीन होगा
02062100	—गोजातीय पशुओं की, जमी हुई:— जीभें	
02062200	—गोजातीय पशुओं के, जमे हुए:— यकृत	
02062900	—गोजातीय पशुओं की, जमी हुई:— अन्य	
02068010	—अन्य, ताजा अथवा " शीतित:— भेड़ों अथवा बकरियों का	
02068090	—अन्य, ताजा अथवा " शीतित:— अन्य	
02069010	—अन्य, जमा हुआ — भेड़ों अथवा बकरियों का	
02069090	—अन्य, जमा हुआ — अन्य	
1602 — अन्य निर्मित या परिरक्षित मांस, गोजातीय पशुओं का मांस		
16021000	—समांगीकृत निर्मितियां	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत भात 2 के भी अधीन होगा
16025000	—गोजातीय प्राणियों का	
16029000	—अन्य, किसी भी प्राणी के रक्त की निर्मितियों सहित	

इस अधिसूचना का प्रभाव: विनिर्दिष्ट हलाल मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए नीतिगत भात अधिसूचित की गई हैं। उल्लिखित निर्यात नीतिगत भात 16 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगी।

[फा. सं. 01/91/171/166/एम21/ईसी से जारी]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2024

No. 34/2024-25**Subject: Streamlining of Halal Certification Process for Meat and Meat Products-reg.**

S.O. 4555(E).—In exercise of powers conferred under Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Export Policy Conditions for Certain Meat and Meat Products **with effect from 16.10.2024** as under:

1. New Policy condition 8 under Chapter 2 and, Policy Condition 2 under Chapter 16 of Schedule-II (Export Policy), ITC(HS) 2022 are inserted as under –

- i. Specified Meat and meat products shall be allowed to be exported as Halal certified to the countries listed below, only if such products are produced or processed and/or packaged in a facility certified under the **“India Conformity Assessment Scheme(I-CAS)- Halal”** of the Quality Council of India (QCI).
- ii. After the shipment(s) are made, the exporter shall provide valid Halal Certificate(s) issued under I-CAS by a Certification Body accredited by the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) to the buyer in the importing country listed below.
- iii. In addition to the requisite conformity with I-CAS, the export of specified meat and meat products to countries wherein regulation(s) for import of Halal products are notified, the producer/supplier/exporter shall also meet the importing country’s requirements and regulations, as applicable, and shall provide valid certificate(s) to the buyer in the importing country issued by Halal Certification Bodies approved under the National Halal system of the Importing Country.
- iv. The Policy Conditions and Procedures thereof for the Export of Non-Halal Certified Meat and Meat products remain unchanged.
- v. The List of Countries wherein the above-mentioned conditions for Export of specified Halal Meat & Meat products is mandated is as follows –
 - I. Bahrain
 - II. Bangladesh
 - III. Indonesia
 - IV. Iran
 - V. Iraq
 - VI. Jordan
 - VII. Kuwait
 - VIII. Malaysia
 - IX. Oman
 - X. Philippines
 - XI. Qatar
 - XII. Saudi Arabia
 - XIII. Singapore
 - XIV. Turkey
 - XV. United Arab Emirates

2. Reference the above-mentioned provisions, additional Export Policy Conditions are inserted against the following ITC(HS) Codes only-

HS Code	Description of Goods	Additional Export Policy Condition
0201- MEAT OF BOVINE ANIMALS, FRESH AND CHILLED		
02013000	-Boneless	Exports shall also be subject to Policy Condition 8 of this Chapter
0202- MEAT OF BOVINE ANIMALS, FROZEN		
02023000	-Boneless	Exports shall also be subject to Policy Condition 8 of this Chapter
0204- MEAT OF SHEEP OR GOATS, FRESH, CHILLED OR FROZEN		
02041000	-Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled	Exports shall also be subject to Policy Condition 8 of this Chapter
02042100	-Carcasses and half-carcasses	
02042200	-Other cuts with bone in	
02042300	-Boneless	
02043000	-Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen	
02044100	-Other meat of sheep, frozen :-- Carcasses and half-carcasses	
02044200	-Other meat of sheep, frozen :-- Other cuts with bone in	
02044300	-Other meat of sheep, frozen :-- Boneless	
02045000	-Meat of goats	
0206- EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIMALS, SHEEP, GOAT, FRESH CHILLED OR FROZEN		
02061000	-Of bovine animals, fresh or chilled	Exports shall also be subject to Policy Condition 8 of this Chapter
02062100	-Of bovine animals, frozen :-- Tongues	
02062200	-Of bovine animals, frozen :-- Livers	
02062900	-Of bovine animals, frozen :-- Other	
02068010	-Other, fresh or chilled --Of sheep or goats	
02068090	-Other, fresh or chilled -Other	
02069010	- Other, frozen -- Of sheep or goats	
02069090	- Other, frozen -- Other	
1602- OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OF BOVINE ANIMALS (16025000)		
16021000	-Homogenised preparations	Exports shall also be subject to Policy Condition 2 of this Chapter
16025000	-Of bovine animals	
16029000	-Other, including preparations of blood of any animal	

Effect of this notification: Policy Conditions for Export of specified Halal Meat and Meat Products are notified. The stated Export Policy conditions shall come into effect from 16th October, 2024.

[F. No. 01/91/171/166/AM21/EC]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.